



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क सदन, 15/1 स्ट्रैंड रोड, कोलकाता- 700 001

CUSTOM HOUSE, 15/1, STRAND ROAD, KOLKATA- 700 001

F.No.: S43-11/2010 H.C.

Dated: 18/07/2018

परिपत्र सं./ CIRCULAR NO.18/2018

सीमा शुल्क सदन, कोलकाता के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विभागीय हिन्दी पत्रिका 'प्राची' का नया रंगीन अंक शीघ्र ही त्रिभाषी रूप में प्रकाशित होने जा रहा है। इस संबंध में पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण, चित्रकारी या किसी प्रकार का रचनात्मक लेखन या सीमा शुल्क से संबन्धित कार्यक्रम (फोटो सहित) या लेख आमंत्रित किए जाते हैं।

लिखित सामाग्री स्पष्ट एवं सुपाठ्य होनी चाहिए या टंकित हो तो अच्छा होगा। लेखक अपना नाम, पदनाम एवं संपर्क नंबर सहित पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटोग्राफ संलग्न करें। लिखित सामाग्री दिनांक 27/07/2018 तक किसी भी कार्यदिवस को सहायक निदेशक (राजभाषा), हिन्दी कक्ष, प्रथम तल, सीमा शुल्क सदन, कोलकाता के पास जमा की जानी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया हिन्दी कक्ष में संपर्क करें या 2262-3097 पर फोन करें।

All the officers and staff of the Custom House, Kolkata are hereby informed that the new colorful issue of departmental Hindi Magazine 'Prachi' is shortly going to be published in trilingual form. In this regard poems, short stories, essays, reminiscences, paintings or any form of creative writing or any activity related customs or write ups are invited in either in Hindi, English or Bengali for publishing in the magazine.

The written materials should be clear and legible and preferably typed. The author should enclose his/her passport size photograph with name, designation and contact number written at the back of the photograph along with the write up.

The matter should be submitted to Assistant Director (OL), Hindi Cell, 1<sup>st</sup> Floor, Custom House, Kolkata by 20/07/2018 on any working day. For further information, please contact Hindi Cell on 2262-3097.

(अमरेंद्र नारायण)

अपर आयुक्त

सीमा शुल्क सदन, कोलकाता

Copy to:

1. All Section Heads for circulating among the staff; 2. All Addl./Joint Commissioner; 3. DC's/AC's; 4.P.S to Chief Commissioner; 5. PA to Commissioner (Admn.) & (Port); 6.Notice Board.